बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

आदेश सं०–वि० प्रा० (IV)–निजी–18/2025/ /पटना, दिनांक–

श्री सज्जन सदा, कार्यालय परिचारी, राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालय, मुंगेर को दिनांक–30.01.2025 से न्यायिक हिरासत में लिए जाने के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) **नियमावली–2005 (भाग–IV निलबंन) की कंडिका–9 (02)(क)** में निहित प्रावधान के आलोक में न्यायिक हिरासत में लिए जाने कि तिथि–30.01.2025 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2\. माननीय उच्च न्यायाल द्वारा जमानत पर कारामुक्त किये जाने के उपरांत दिनांक–15.04.2026 को योगदान दिये जाने की तिथि से योगदान स्वीकृत करने हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) **नियमावली–2005 (भाग–IV निलबंन) की कंडिका–9 (03)(i)** में निहित प्रावधान के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक–15.04.2026 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है।

3. दिनांक–30.01.2025 से दिनांक–14.04.2026 तक निलम्बन अवधि में नियम 10 के उप–नियम (03) के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4\. प्रस्ताव में सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

संयुक्त सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना।

पत्रांक :–वि० प्रा० (IV)–निजी–18/2025/ /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि श्री सज्जन सदा, कार्यालय परिचारी द्वारा कोई सरकारी कार्य में लापरवाही का मामला प्रकाश में आया हो, तो उचित कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह०/–

संयुक्त सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना।

पत्रांक :– वि० प्रा० (IV)–निजी–18/2025/ 3332 **/पटना, दिनांक–** 10.06.26

प्रतिलिपिः–श्री सज्जन सदा, कार्यालय परिचारी, राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09.06.2026

संयुक्त सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

बिहार